

कच्चा खीर आरक्षण है तथा उसकी भाग में 0.717 है पर पीकसिंह ग्राम
 पुस्तक समिति ग्राम देहडा सादात का भी नाम है। अतः उपरोक्त ग्राम के अंतर्गत
 भी उपरोक्त विद्या ग्राम है कि जका सं. 1099 व के 0.717 है अतः पीकसिंह
 विद्या पुस्तक समिति ग्राम देहडा सादात अर्थ में अधिारी घोषित करने पर कोई
 कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त अधिारीकरण द्वारा नम्बर 984/4 रकबा 0.2510 है
 के पूर्ण भाग पर व जका सं. 1019/2 रकबा 1.051 है के पूर्ण भाग पर तथा जका
 सं. 984/एम व 984/10 के 0.034 है तथा जका सं. 1099 के 0.717 है व
 जका सं. 1020/1म रकबा 0.279 है पर पीकसिंह विद्या पुस्तक समिति ग्राम
 देहडा सादात द्वारा धार विटि जमीन धारणकारी का निर्धारण किया गया है
 तथा धारणकारी के अन्तर प्रचलित भूमि पंजीयन में प्रत्येक के लो के विरुद्ध कोई
 कृषि होने की सम्भावना नहीं है। भविष्य में प्रचलित भूमि पर विद्या-पुस्तक समिति
 किया जाना प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त के आधार पर प्रचलित भूमि को पीकसिंह
 विद्या पुस्तक समिति ग्राम देहडा सादात के ग्राम में अधिारी विनाश अधिनियम
 की धारा-143 के अन्तर्गत अधिधिक भूमि घोषित किये जाने की आज्ञा संकल्पित
 प्रेषित की गयी है।

यदि पत्रावली पर उपरोक्त तहसीलदार जनसंख्या की आज्ञा दिनांक 12-
 11-2009, नियम 135 के प्रालय पर प्रस्तुत आज्ञा, नम्बर जमीनी वर्ष 1410/1415
 परतीका अतीक एवं परिवर्तित किया। तहसीलदार जनसंख्या की आज्ञा तथा पत्रा
 वली पर उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार जका सं.984/4 क्षेत्र 0.059 है,
 जका सं.1019/2 क्षेत्र 1.0510 है, जका सं.984/एम क्षेत्र 0.017 है व का
 सं.984/1म क्षेत्र 0.017 है, जका सं.1099म क्षेत्र 0.7170 है, जका नम्बर
 1020/1म क्षेत्र 0.279 है कुल क्षेत्र 2.140 है भूमि अक्षय पाल, नरकतप्यान
 व कृषि प्रयोजन में न आने के कारण अधिधिक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत
 प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम- देहडा सादात परगना-
 भोकरहेडी के जता संख्या-384 खान 984/4 क्षेत्र 0.0590 है तगान 1.458 जता
 सं.389 खान 1019/2 क्षेत्र 1.0510 है तगान 31.70, जता सं.514 खान सं.
 984/2म क्षेत्र 0.017 है व खान 984/1म क्षेत्र 0.017 है तगान 1.568 व
 जता संख्या-72 खान सं.1099म क्षेत्र 0.7170 है तगान 26.0080 व जता सं.
 178 खान सं.1020/1म क्षेत्र 0.279 है तगान 10.30 रु कुल क्षेत्र 2.140 है
 तगान 71.11 रु को अधिारी विनाश एवं भूमि अक्षय अधिनियम की धारा-
 143 के अन्तर्गत अधिधिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार प्रख्यापन जारी
 हो। पत्रावली आवश्यक अनुपालन के अंतर्गत राजस्व अभिलेखकार में सौंपित की
 जावे।

दिनांक 13-11-2009

(Handwritten Signature)
 सहायक जमीन अधिारी
 जनसंख्या



Copy to
 Comm
 Dist
 Date
 13/11/09
 14/11/09
 15/11/09

पुस्तक समिति
 देहडा सादात (पुस्तकसंग्रह)

13/11/09
 13/11/09
 13/11/09



13/11/09